What are the various sources of income for NGO ?

संस्था की आमदनी के भिन्न स्त्रोत कौन से है ?

संस्था में आनेवाले रुपये को ''आमदनी'' या ''INCOME'' नहीं कहा जाता । संस्था में रूपये कौन से तरीके से आते है वह पहले देखेंगे ।

''डोनेशन या चंदा : यह संस्था की आमदनी का अहम स्त्रोत है । डोनेशन सामान्य आदमी, अमीर व्यक्ती, प्रायव्हेट कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, सरकारी कंपनी, निजी उद्योग, विश्वस्त संस्था या उद्योजको ने निर्माण कियी हुईदान देनेवाली संस्थाओं से मिल सकता है । किसी मॉल में अस्पताल में या सार्वजनिक स्थान पर रखे हुए डोनेशन बॉक्स से भी आपको डोनेशन मिल सकता है । आप अपने संकेत स्थल के माध्यम से भी डोनेशन स्वीकार कर सकते है ।

संस्था के निवेश से मिल रहा व्याज या डीव्हीडंड/आयकर कानून का सेक्शन ११(५) संस्था, सोसायटी या सेक्शन २५ कंपनी के निवेशोंपर भी नियंत्रण रखता है । आप कानून को मान्य है ऐसी जगहोंपर ही निवेश कर सकते है ।

संस्था के लाभार्थीयों ने बनाई हुई वस्तुऐं बेचकर होनेवाला मुनाफा

भाडा : अगर आपकी संस्था के पास ''मिटिंग रूम'' या ''कॉन्फरन्स रूम'' है तो वो किराए पर देके आमदनी हो सकती है ।

अगर संस्था के सभासद वार्षिक सभासदत्व फी देते है तो यह भी संस्था की आमदनी है । सभासदत्व फी लेना सभासदों को संस्था के कार्य में रूची लेना और जुडे रहने के लिये भी सही होगा ।